



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 1970/फाल्गुन 19, 1891

No. 84] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 1970/PHALGUNA 19, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th March 1970

S.O. 955.—Whereas the President has by notification published in the Gazette of India, on the 10th March, 1970, called upon the elected members of the Legislative Assembly of each State or, as the case may be, the members of the Electoral College of each Union Territory, specified in column 1 of the table below to elect the number of member/members specified against that State or Union Territory in column 2 of the said table, to the Council of States:—

TABLE

Name of State/Union Territory	Number of seats to be filled
1	2
1. Andhra Pradesh	6
2. Assam	2
3. Bihar	8
4. Gujarat	4
5. Haryana	1

I	2
6. Jammu & Kashmir	2
7. Mysore	4
8. Orissa	3
9. Rajasthan	3
10. Tamil Nadu	6
11. Uttar Pradesh	11
12. West Bengal	5
13. Delhi	1
14. Himachal Pradesh	1

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints with respect to the said election—

- (a) the 17th March, 1970 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th March, 1970 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) (i) the 20th March, 1970 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures except for the State of Jammu and Kashmir; and
(ii) the 21st March, 1970 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures in respect of the State of Jammu and Kashmir;
- (d) the 28th March, 1970 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 31st March, 1970 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 318/70(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1970

एस० नो० 955:—यह: राष्ट्रपति ने भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 1970 को प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों अथवा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों से, जैसी भी स्थिति हो, यह अपेक्षा की है कि वे राज्य सभा के लिये उतने सदस्य निर्वाचित करें जितने उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं।

सारणी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	6
2. असम	2
3. बिहार	8

1	2
4. गुजरात	4
5. हरयाणा	1
6. जम्मू और कश्मीर	2
7. मसूर	4
8. उड़ीसा	3
9. राजस्थान	3
10. तामिल नाडु	6
11. उत्तर प्रदेश	11
12. पश्चिमी बंगाल	5
13. दिल्ली	1
14. हिमाचल प्रदेश	1

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के बारे में एतद्वारा निम्नलिखित तारीखें नियत करता है :

- (क) नामनिर्देशन की अन्तिम तारीख 17 मार्च, 1970 (मंगलवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संविक्षा की तारीख 18 मार्च, 1970 (बुधवार)
- (ग) (i) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 20 मार्च, 1970 (शुक्रवार)
- (ii) जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 21 मार्च, 1970 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हो तो,
मतदान होगा 28 मार्च, 1970 (शनिवार)
- (ङ०) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर
लिया जायेगा 31 मार्च, 1970 (मंगलवार)

[सं० 318/70 (1)]

S.O. 956.—In exercise of the powers conferred by section 21 and sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby—

- (a) designates, in respect of the biennial election to the Council of States to be held in the States or Union Territories specified in column 1 of the table below in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on the 10th March, 1970, the officer specified against that State or Union Territory in column 2 to be the Returning Officer; and
- (b) appoints in respect of the said election, the officer specified against that State or Union Territory in column 3 to assist the said Returning Officer.

TABLE

ame of State/Union Territory	Officer designated as Returning Officer	Officer appointed as Assistant Returning Officer
1	2	3
1. Andhra Pradesh	Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Legislature Department.	Assistant Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Legislature (Committees) Department.
2. Assam	Deputy Secretary, Assam Legislative Assembly.	Under Secretary, Assam Legislative Assembly.
3. Bihar	Secretary, Bihar Legislative Assembly	Joint Secretary, Bihar Legislative Assembly.
4. Gujarat	Secretary, Gujarat Legislature Secretariat.	Under Secretary, Gujarat Legislature Secretariat.
5. Haryana	Secretary, Haryana Vidhan Sabha.	Deputy Secretary, Haryana Vidhyan Sabha.
6. Jammu & Kashmir	Secretary, Jammu & Kashmir Legislative Assembly.	Deputy Secretary, Jammu & Kashmir Legislative Assembly.
7. Mysore	Shri K. S. Thimmappa Gowda, Joint Secretary, Mysore Legislature.	Shri V. B. Deshmukh, Deputy Secretary, Mysore Legislature.
8. Orissa	Secretary, Orissa Legislative Assembly.	Assistant Secretary, Orissa Legislative Assembly.
9. Rajasthan	Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.	Deputy Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.
10. Tamil Nadu	Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly Department.	Assistant Secretary (Bills), Tamil Nadu Legislative Assembly Department.
11. Uttar Pradesh	Secretary, Uttar Pradesh State Legislature.	Secretary, Uttar Pradesh State Legislative Assembly.
12. West Bengal	Secretary, West Bengal Legislative Assembly.	Shri Rafiqul Haque, Deputy Secretary, West Bengal Legislative Assembly.
13. Delhi	Shri Desh Deepak, Secretary (Judicial), Delhi Administration.	Shri Hari Prasad Bagchi, Under Secretary, (Law and Judicial), Delhi Administration.
14. Himachal Pradesh	Judicial Secretary, Himachal Pradesh Government.	Under Secretary (Judicial), Himachal Pradesh Government

एत० अं० 956—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 तथा धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा—

(क) भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 1970 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के बारे में, उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट आफिसर को रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित करता है ;

(ख) उक्त निर्वाचन के बारे में उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सामने स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आफिसर के उक्त रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए नियुक्त करता है ।

सारणी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त आफिसर
1. आंध्र प्रदेश	सचिव, विधान मंडल विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	सहायक सचिव, विधान मंडल (समितियां) विभाग आंध्र प्रदेश सरकार
2. असम	उप-सचिव, असम विधान सभा	अवर-सचिव, असम विधान सभा
3. बिहार	सचिव, बिहार विधान सभा	संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा
4. गुजरात	सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय	अवर सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय
5. हरियाणा	सचिव, हरियाणा विधान सभा	उप-सचिव, हरियाणा विधान सभा
6. जम्मू और कश्मीर	सचिव, जम्मू और कश्मीर विधान सभा	उप-सचिव, जम्मू और कश्मीर विधान सभा
7. मैसूर	श्री के० एम० धिम्माप्पा गोवडा, संयुक्त सचिव, मैसूर विधान मंडल	श्री बी० बी० देशमुख, उप-सचिव, मैसूर विधान मंडल
8. उड़ीसा	सचिव, उड़ीसा विधान सभा	सहायक सचिव, उड़ीसा विधान सभा
9. राजस्थान	सचिव, राजस्थान विधान सभा	उप-सचिव, राजस्थान विधान सभा
10. तामिल नाडु	सचिव, तामिलनाडु विधान सभा विभाग	सहायक सचिव, (विधेयक) तामिलनाडु विधान सभा विभाग
11. उत्तर प्रदेश	सचिव, उत्तर प्रदेश विधान मंडल	सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा
12. पश्चिमी बंगाल	सचिव, पश्चिमी बंगाल विधान सभा	श्री रफीकुल हक, उप-सचिव, पश्चिमी बंगाल विधान सभा
13. दिल्ली	श्री देशदीपक, सचिव (न्यायिक) दिल्ली प्रशासन	श्री हर प्रसाद बागची, अवर सचिव, (विधि तथा न्यायिक) दिल्ली प्रशासन
14. हिमाचल प्रदेश	न्यायिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार	अवर सचिव (न्यायिक) हिमाचल प्रदेश सरकार

S.O. 957.—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours specified in column 2 of the table below as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the biennial elections to the Council of States in the corresponding State and Union Territory specified in column 1 of the table to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on the 10th March, 1970.

TABLE

Name of State/Union Territory	Hours of poll
-------------------------------	---------------

1. Andhra Pradesh	10.00 A.M. to 4.00 P.M.]
2. Assam	10.00 A.M. to 3.00 P.M.
3. Bihar	11.00 A.M. to 4.00 P.M.
4. Gujarat	11.00 A.M. to 2.00 P.M.
5. Haryana	11.00 A.M. to 3.00 P.M.
6. Jammu & Kashmir	11.00 A.M. to 4.00 P.M.
7. Mysore	10.00 A.M. to 1.00 P.M.
8. Orissa	10.00 A.M. to 2.00 P.M.
9. Rajasthan	10.00 A.M. to 4.00 P.M.
10. Tamil Nadu	10.00 A.M. to 3.00 P.M.
11. Uttar Pradesh	10.30 A.M. to 3.30 P.M.
12. West Bengal	10.00 A.M. to 4.00 P.M.
13. Delhi	10.30 A.M. to 1.30 P.M.
14. Himachal Pradesh	11.00 A.M. to 2.00 P.M.

[No. 318/70(3).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

ए 10 अं 957.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 1970 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिवृत्त के अनुपरण में, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र से राज्य सभा के लिये होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन में, उस सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा।

सारणी

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	मतदान का समय
1	2
1. आंध्र प्रदेश	10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक
2. असम	10 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक

1

2

3. बिहार	11 बजे पूर्वार्द्ध से 4 बजे अपराह्न तक
4. गुजरात	11 बजे पूर्वार्द्ध से 2 बजे अपराह्न तक
5. हरयाणा	11 बजे पूर्वार्द्ध से 3 बजे अपराह्न तक
6. जम्मू-कश्मीर	11 बजे पूर्वार्द्ध से 4 बजे अपराह्न तक
7. मैसूर	10 बजे पूर्वार्द्ध से 1 बजे अपराह्न तक
8. उड़ीसा	10 बजे पूर्वार्द्ध से 2 बजे अपराह्न तक
9. राजस्थान	10 बजे पूर्वार्द्ध से 4 बजे अपराह्न तक
10. तामिल नाडु	10 बजे पूर्वार्द्ध से 3 बजे अपराह्न तक
11. उत्तर प्रदेश	10-30 बजे पूर्वार्द्ध से 3-30 बजे अपराह्न तक
12. पश्चिमी बंगाल	10 बजे पूर्वार्द्ध से 4 बजे अपराह्न तक
13. दिल्ली	10-30 बजे पूर्वार्द्ध से 1-30 बजे अपराह्न तक
14. हिमाचल प्रदेश	11 बजे पूर्वार्द्ध से 2 बजे अपराह्न तक

[सं० 318/70(3)]

आदेश से,

ए० एन० सेन,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

